

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

सी-5 विद्युत मण्डल परिसर, गुड़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009

Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / रा.श. / 2026 / 134

रायपुर, दिनांक 10 JUL 2026

प्रति,

1. श्री पी. सूर्यनारायण अय्यर,
मकान नं. 480, प्रियदर्शिनी कॉलोनी रायपुर,
जिला रायपुर (छ.ग.)
मोबाईल नं. : 94242-15910
2. कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (दक्षिण),
छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विषय :- प्रकरण क्रमांक / 16 / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर) द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।



(एम.डी. बड़गैया)

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (नगर) वृत्त-एक, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि.,
रायपुर (छ.ग.)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक / 16 / 2026

संस्थित दिनांक 26.05.2026

श्री पी. सूर्यनारायण अय्यर,

....आवेदक

मकान नं. 480, प्रियदर्शिनी कॉलोनी रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)

मोबाईल नं. : 94242-15910

विरुद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (दक्षिण),

....उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

(दिनांक 10/07/2026 को पारित)

परिवादी की छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी से सेवानिवृत्ति पश्चात उसके विद्युत देयक में प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट (25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत) की राशि को वसूल किए जाने के लिए उत्तरवादी द्वारा प्रेषित राशि रु. 16160.00 के मांग पत्र को निरस्त किए जाने हेतु परिवादी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. प्रियदर्शिनी कॉलोनी, रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में घरेलू उपयोग हेतु 9.0 कि.वा. भार का विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1000016007 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

ख. उत्तरवादी के नियमित कर्मचारियों के लिए अपने विद्युत देयक में 50 प्रतिशत विभागीय छूट प्राप्त किए जाने एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 25 प्रतिशत की विभागीय छूट प्राप्त किए जाने का विकल्प विभागीय नियमों के अनुसार है ।

ग. उत्तरवादी द्वारा परिवादी को, उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात, उसके विद्युत देयक में, माह अगस्त 2020 से माह अक्टूबर 2025 तक की अवधि में निर्धारित 25 प्रतिशत की विभागीय छूट के स्थान पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती रही थी ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

उत्तरवादी द्वारा लंबी अवधि तक विद्युत देयक में प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि को बिना किसी पूर्व सूचना एवं विस्तृत जानकारी के नियमित देयक में



जोड़कर वसूल किए जाने दिए जाने की कार्यवाही को परिवादी द्वारा नियम विरुद्ध एवं शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त संबंधी उत्तरवादी के तर्क को भ्रामक बताया गया है। परिवादी के अनुसार अतिरिक्त विभागीय छूट प्रदान किए जाते रहने के लिए उत्तरवादी की लापरवाही एवं प्रबंधकीय विफलता जिम्मेदार है, इसमें परिवादी पूरी तरह से निर्दोष है। उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत पत्रों का कोई जवाब प्रस्तुत न करते हुए परिवादी के सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। परिवादी द्वारा परिवाद के अंतिम निराकरण तक विद्युत लाईन विच्छेद न करने एवं मात्र वर्तमान देयक (current bill) स्वीकार किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने का भी आग्रह किया गया है।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 364 दिनांक 01.06.2026 के माध्यक से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि -

कार्यपालक निदेशक (राज.), रायपुर के पत्र क्रमांक 803 दिनांक 06.11.2025 के निर्देशानुसार, परिवादी को उनकी सेवानिवृत्ति उपरांत दी गयी, 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत विभागीय छूट की अंतर राशि की गणना करते हुए मांग पत्र जारी किया गया है। परिवादी की सेवानिवृत्ति तिथि के बाद माह अगस्त 2020 से माह अक्टूबर 2025 तक की अवधि में प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट राशि रु. 18058.00 का मांग पत्र जारी किया गया तत्पश्चात परिवादी द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के बाद संशोधित देयक राशि रु. 16160.00 का मांग पत्र जारी किया गया जो कि नियमानुसार है। दिनांक 24.04.2026 को उक्त राशि परिवादी के नियमित देयक में जोड़ दी गयी है।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं -

(i) क्या परिवादी के देयक में विभागीय अतिरिक्त छूट की राशि को जोड़े जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही नियमानुसार है।

(ii) क्या परिवादी को शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ नहीं देने की उत्तरवादी की कार्यवाही नियमानुसार है एवं क्या परिवादी, शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से प्राप्त करने का अधिकारी है।

(iii) यदि परिवादी को प्रदायित विभागीय अतिरिक्त छूट के लिए मात्र उत्तरवादी जिम्मेदार है। यदि है, तो क्या इस आधार पर अतिरिक्त छूट राशि निरस्त किए जाने योग्य है।



(v) क्या "समाधान योजना" जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदायित रियायत या अन्य उपभोक्ताओं (आई.ए.एस. एसोसिएशन जिसका जिक्र परिवादी द्वारा किया गया है) को प्रदान की जाने वाली छूट, परिवादी को उसके द्वारा प्राप्त की गयी अतिरिक्त विभागीय छूट राशि की देनदारी से मुक्त किए जाने का आधार हो सकता है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी द्वारा उसके देयक में बिना किसी पूर्व सूचना के अतिरिक्त राशि रु. 16160.00 जोड़कर प्रेषित कर दी गयी जो कि नियम विरुद्ध है । उत्तरवादी के अनुसार परिवादी को दिनांक 30.01.2026 को प्रेषित पूरक देयक राशि के मांग पत्र के साथ उक्त राशि के, वसूली योग्य होने के कारण की संक्षिप्त जानकारी प्रेषित की गयी थी जिसके प्रत्युत्तर में परिवादी द्वारा दिनांक 12.02.2026 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया । परिवादी के देयक में आवश्यक सुधार करते हुए दिनांक 10.02.2026 को संशोधित राशि का मांग पत्र पुनः परिवादी को बिलिंग विवरण के साथ प्रेषित किया गया था । परिवादी द्वारा मांग पत्र राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में उक्त पूरक देयक राशि, दिनांक 24.04.2026 को परिवादी के नियमित देयक में जोड़ दी गयी जो कि नियमानुसार है ।

सप्लाई कोड 2011 की कंडिका 9.26 एवं 9.27 यथा –

9.26 Separate (supplementary) bills shall be issued for audit recovery and recoveries other than the regular monthly bill except for demand of additional security deposit.

9.27 While issuing the supplementary bill (for other than cases related to prejudicial use of energy) to the consumer the licensee along with the supplementary bill shall send a written details to the consumer explaining the reason, basis and period of such billing by giving fifteen days time for payment.

The consumer may accept the bill and deposit the amount of supplementary bill. In case of non payment within due date the amount of supplementary bill liable to be added in next months regular monthly bill.



. के अनुसार पूरक देयक प्रेषित किए जाने के साथ ही उपभोक्ता को पूरक देयक राशि की मांग का कारण, बिलिंग की अवधि एवं बिलिंग का लिखित विवरण भी प्रेषित किया जाना है एवं उपभोक्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान किया जाना है । निर्धारित अवधि में उपभोक्ता द्वारा भुगतान न किए जाने की स्थिति में ही उक्त पूरक देयक राशि को नियमित मासिक देयक में जोड़ा जाना है । उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवारी के नियमित देयक में अतिरिक्त राशि जोड़े जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुसार होने के कारण सही है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. परिवारी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि सेवानिवृत्ति पश्चात एक सामान्य उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ उत्तरवादी द्वारा प्रदान नहीं किया गया । परिवारी द्वारा मांग की गयी है कि सेवानिवृत्ति पश्चात की अवधि के लिए उत्तरवादी द्वारा प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट का समायोजन उक्त "बिजली बिल हाफ" योजना की छूट से करते हुए मात्र अंतर राशि की वसूली की जाए । परिवारी द्वारा शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना की छूट के लिए विकल्प फार्म जमा किए जाने की अनिवार्यता के उत्तरवादी के दावे को भ्रामक बताया गया है । उत्तरवादी द्वारा इस संबंध में कोई लेख/कथन नहीं किया गया है ।

किसी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को उसके विद्युत देयक में विभागीय छूट एवं शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना की छूट एक साथ दिए जाने का प्रावधान विभागीय नियमों में नहीं है । चूंकि उत्तरवादी द्वारा परिवारी की सेवानिवृत्ति पश्चात उसके विद्युत देयक में 25 प्रतिशत विभागीय छूट देते हुए ही अतिरिक्त छूट राशि की गणना की गयी है अतः शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ प्रदान नहीं किया गया है । परिवारी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति पश्चात विभागीय छूट/शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना संबंधी छूट प्राप्त करने संबंधी कोई विकल्प पत्र उत्तरवादी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परिवारी को शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना संबंधी छूट का लाभ नहीं दिया जाना स्पष्ट होता है ।

फोरम समझता है कि परिवारी द्वारा शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ प्राप्त करने के संबंध में आवेदन/विकल्प उत्तरवादी के समक्ष पूर्व में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । शासन की "बिजली बिल हाफ" योजना के लिए राशि, राज्य शासन द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को, उसके द्वारा इस संबंध में किए जाने वाली मांग (claim) के आधार पर प्रदान की जाती है अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि शासन



की "बिजली बिल हाफ" योजना का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से (अगस्त 2020 से) दिये जाने की परिवादी की मांग को फोरम स्वीकार किए जाने योग्य नहीं मानता है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (iii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

8. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि मुख्य अभियंता (EITC) द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26.03.2014 में कर्मचारियों को प्रदत्त विभागीय छूट की विसंगतियों को सुधारने का निर्देश दिया गया था लेकिन उत्तरवादी के मैदानी अधिकारियों द्वारा इस पत्र के अनुपालन में बरती गयी लापरवाही के कारण उन्हें सेवानिवृत्ति प्रश्चात प्रदत्त विभागीय छूट में नियमानुसार परिवर्तन नहीं किया गया और 50 प्रतिशत विभागीय छूट के सेवानिवृत्ति पश्चात भी जारी रहने की परिस्थिति निर्मित हुई ।

अवगत हो कि परिवादी द्वारा संदर्भित पत्र में मुख्य अभियंता (EITC) द्वारा बिलिंग सिस्टम में कर्मचारियों का कर्मचारी क्रमांक दर्ज न होने से होने वाली संभावित त्रुटियों, जिसमें विभागीय छूट की विसंगति भी शामिल है, का उल्लेख करते हुए बिलिंग सिस्टम में अनिवार्य रूप से कर्मचारी क्रमांक दर्ज करने का निर्देश दिया था । परिवादी द्वारा यह लेख किया जाना सही है कि उत्तरवादी द्वारा परिवादी की सेवानिवृत्ति का स्वतः संज्ञान न लेते हुए सेवानिवृत्ति पश्चात उसे दी जाने वाली विभागीय छूट में परिवर्तन नहीं किया गया लेकिन परिवादी भी, अपनी सेवानिवृत्ति की जानकारी के साथ अपने देयक में प्रदान की जा रही विभागीय छूट को 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत किए जाने का तथ्य उत्तरवादी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है । उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादी की सेवानिवृत्ति पश्चात भी 50 प्रतिशत विभागीय छूट के जारी रहने के लिए उत्तरवादी एवं परिवादी दोनों ही जिम्मेदार हैं एवं विभागीय छूट के रूप में परिवादी द्वारा प्राप्त की गयी अतिरिक्त राशि मात्र इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती है कि वह विभागीय लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (iv) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

9. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में यह लेख किया गया है कि विभाग द्वारा एक ओर तो समाधान योजना एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से, देयक राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को देयक में छूट प्रदान की जा रही है वहीं दूसरी ओर नियमानुसार देयक का भुगतान करते हुए वर्षों तक विभाग की सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया रहा है । फोरम का इस संबंध में यह मानना है कि राज्य शासन के दिशा निर्देशों पर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करना विभाग का नीतिगत निर्णय है । अतः इस पर फोरम द्वारा किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना अनुचित होगा । उक्त



विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि "समाधान योजना" जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदायित रियायत या अन्य उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली छूट के आधार पर परिवादी को उसके द्वारा प्राप्त की गयी अतिरिक्त विभागीय छूट राशि की देनदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है ।

10. संपूर्ण विचारणीय प्रश्नों की विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत हम यह पाते हैं कि परिवादी को प्रदायित अतिरिक्त विभागीय छूट संबंधी पूरक देयक राशि निरस्त किए जाने योग्य नहीं है ।

11. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत हम यह पाते हैं कि परिवादी अपना मामला साबित करने में असफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है -

(i) फोरम उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि लंबी अवधि के लिए गणना की गयी वसूली योग्य राशि को एकमुश्त परिवादी के देयक में जोड़कर वसूल किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा । अतः परिवादी के नियमित देयक में जोड़ी गयी अतिरिक्त राशि के कारण देयक में लगने वाले अधिभार को निरस्त/स्थगित किया जाना सुनिश्चित करें ।

(ii) परिवादी को उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रेषित अतिरिक्त विभागीय छूट की पूरक देयक राशि सही एवं परिवादी द्वारा भुगतान योग्य है ।

(iii) परिवादी द्वारा मांगे जाने पर सप्लाय कोड की कंडिका 10.14 के अनुसार उत्तरवादी, परिवादी को, उसकी बकाया राशि के यथोचित किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें ।

12. यदि परिवादी/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

आदेश पारित किया गया

(निमिष परमार)
सदस्य



(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष